भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3619

जिसका उत्तर सोमवार, 10 अगस्त, 2026/19 श्रावण, 1948 (शक) को दिया गया

प्रधान मंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत खोले गए खाते

†3619: डॉ. कलानिधि वीरास्वामी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधान मंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) के प्रारंभ से लेकर अब तक इसके अंतर्गत कुल कितने बैंक खाते खोले गए हैं और आज की तिथि तक इसके अंतर्गत तमिलनाडु में कितने खाते सक्रिय हैं;

(ख) प्रधान मंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) खातों के अंतर्गत कुल कितनी जमा राशि जुटाई गई, कितनी ऋण राशि संवितरित की गई और कितना बीमा कवरेज प्रदान किया गया;

(ग) ग्रामीण, सीमांत और वंचित समुदायों के प्रधान मंत्री जन-धन योजना के खाताधारकों का प्रतिशत कितना है और महिलाओं और कमजोर वर्गों के लिए वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के लिए क्या विशिष्ट उपाय किए गए हैं;

(घ) खातों के बंद या निष्क्रिय होने के क्या कारण हैं और उत्पादक प्रयोजनों के लिए खातों के उपयोग को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जाने की योजना है;

(ड़) प्रधान मंत्री जन-धन योजना खातों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) और अन्य सामाजिक कल्याण योजनाओं से जोड़ने में क्या प्रगति हुई है;

(च) लाभार्थियों को प्रधान मंत्री जन-धन योजना और उनकी प्रभावकारिता के बारे में शिक्षित करने के लिए कौन-कौन से वित्तीय साक्षरता और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं; और

(छ) वित्तीय बहिष्करण और गरीबी को कम करने में प्रधान मंत्री जन-धन योजना के प्रभाव का आकलन करने के लिए क्या निगरानी और मूल्यांकन तंत्र मौजूद है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): इस योजना के आरंभ से लेकर अब तक देश भर में कुल 58.84 करोड़ प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) खाते खोले गए हैं। दिनांक 22.07.2026 की स्थिति के अनुसार, तमिलनाडु राज्य में 1.49 करोड़ पीएमजेडीवाई खाते सक्रिय हैं।

(ख): दिनांक 22-07-2026 की स्थिति के अनुसार, पीएमजेडीवाई खातों के अंतर्गत कुल जमा राशि 3,11,291 करोड़ रुपए है। ऋण संवितरण के संबंध में, पीएमजेडीवाई के तहत ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ 34.69 लाख खातों में उठाया गया है, जिसमें 374.25 करोड़ रुपये (24.06.2026 की स्थिति के अनुसार) की बकाया राशि है। बीमा कवरेज के संबंध में, प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के तहत 8.27 करोड़ पीएमजेडीवाई खाताधारकों को नामांकित किया गया है और 19.41 करोड़ पीएमजेडीवाई खाताधारकों को प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के तहत नामांकित किया गया है।

(ग): दिनांक 14.08.2018 से वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से, "प्रत्येक परिवार" का खाता खोलने से ध्यान हटाकर "बैंकिंग सुविधा से वंचित प्रत्येक वयस्क" का खाता खोलने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

दिनांक 22.07.2026 की स्थिति के अनुसार, ग्रामीण/अर्ध-शहरी क्षेत्रों में पीएमजेडीवाई खाताधारकों और पीएमजेडीवाई महिला खाताधारकों के खातों का प्रतिशत निम्नानुसार है:

कुल पीएमजेडीवाई खाते	पीएमजेडीवाई खाते (ग्रामीण/अर्ध-शहरी क्षेत्र)	पीएमजेडीवाई खाते (महिलाएं)
58,84,42,068	45,77,42,674 (77.79%)	32,79,38,290 (55.73%)
स्रोत: *बैंक*		

समुदाय-वार आंकडों का रखरखाव केंद्रीय स्तर पर नहीं किया जाता है।

(घ): पीएमजेडीवाई खाते लंबे समय तक खातों के गैर-परिचालन, खाताधारकों के स्थानांतरण, कई खाते खोलने, नियमित लेन-देन न होने अथवा खाताधारक की मृत्यु की सूचना न दिए जाने जैसे कारणों से निष्क्रिय या अक्रिय हो जाते हैं।
बैंक खाते को सक्रिय रखने के लाभों सहित बैंकिंग आदतों के बारे में जागरूकता सृजित करने के लिए शिविरों का आयोजन करके निष्क्रिय खातों की संख्या को कम करने के लिए लगातार ठोस प्रयास करते हैं। बैंकों को निष्क्रिय खातों की संख्या को कम करने और ऐसे खातों के सक्रियण की प्रक्रिया को सुगम और निर्बाध बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने की भी सलाह दी गई है।

(ङ): विभिन्न डीबीटी स्कीमों से संबद्ध पीएमजेडीवाई खातों की संख्या से संबंधित आंकडों का रखरखाव केंद्रीय स्तर पर नहीं किया जाता है। तथापि, पीएमजेडीवाई दिशा-निर्देशों में सरकार से लाभार्थियों के जन-धन खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) की परिकल्पना की गई है। पीएमजेडीवाई खातों सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खातों में लाभ दिया जा रहा है।

(च) और (छ): वित्तीय/डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने और सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कई पहलें की गई हैं, जो निम्नानुसार हैं -

i. वित्तीय साक्षरता केंद्र (सीएफएल) परियोजना 2017 से आरबीआई द्वारा आरंभ की गई है, जिसका उद्देश्य वित्तीय साक्षरता के लिए समुदाय के नेतृत्व वाले अभिनव और सहभागी दृष्टिकोण को अपनाना है। देश भर में कुल 2,421 सीएफएल स्थापित किए गए हैं, जिनमें से एक सीएफएल औसतन तीन ब्लॉकों को कवर करता है।
ii. बैंकों को सलाह दी गई है कि वे अपने वित्तीय साक्षरता केंद्रों (एफएलसी) के माध्यम से आम जनता के लिए यूपीआई के माध्यम से "गोइंग डिजिटल" संबंधी विषय पर शिविर आयोजित करें और विभिन्न लक्षित समूहों के लिए आवश्यकता अनुकूल शिविर आयोजित करें।
iii. बैंकों की ग्रामीण शाखाओं को प्रति माह एक शिविर आयोजित करना होता है जिसमें उन सभी संदेशों को शामिल किया जाता है जो वित्तीय जागरूकता संदेश (एफएएमई) बुकलेट का हिस्सा हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बुनियादी बैंकिंग, डिजिटल वित्तीय साक्षरता, उपभोक्ता संरक्षण आदि सहित वित्तीय साक्षरता के विभिन्न पहलुओं से संबंधित संदेश शामिल हैं।
iv. देश भर में जन-प्रतिनिधि के बीच विभिन्न विषयों पर वित्तीय शिक्षा के संदेश का प्रसार करने के लिए वर्ष 2016 से प्रत्येक वर्ष वित्तीय साक्षरता सप्ताह (एफएलडब्ल्यू) आयोजित किया जाता है।
v. भारतीय रिज़र्व बैंक का "आरबीआई कहता है" शीर्षक वाला मल्टी-मीडिया, बहुभाषी जन जागरूकता अभियान, वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने और सुरक्षित बैंकिंग कार्यकलापों पर जनता को शिक्षित करने के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग करता है।

इसके अतिरिक्त, सरकार वित्तीय समावेशन योजनाओं के बारे में जागरूकता और पैठ बढ़ाने के लिए समय-समय पर विभिन्न संतृप्ति अभियान चलाती है।

इसके अतिरिक्त, बैंकों और अन्य संबंधित हितधारकों के साथ योजना के कार्यान्वयन और प्रभावकारिता की नियमित रूप से निगरानी करने के लिए एक समीक्षा तंत्र मौजूद है।

विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ), नीति आयोग के माध्यम से पीएमजेडीवाई का मूल्यांकन अध्ययन वित्तीय वर्ष 2024-25 में किया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पाया गया कि:

- पीएमजेडीवाई बैंकिंग सुविधा से वंचित आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए औपचारिक बैंकिंग तक पहुंच में सुधार करने में सफल रहा है।
- इस योजना ने खाताधारकों के बीच बचत संबंधी आदतों को विकसित किया है।
- इस योजना ने सरलीकृत नामांकन और जीरो बैलेंस खाता विकल्प के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली में प्रवेश को आसान बना दिया है।
- पीएमजेडीवाई ने वित्तीय लेनदेन का प्रबंधन करते समय उपयोगकर्ताओं के आत्मविश्वास में वृद्धि की है।
